

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
नवादा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, हिसुआ।

पटना, दिनांक- 20/11/18

विषय:- नगर पंचायत, हिसुआ अन्तर्गत अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग से किरासन गद्दी होते हुए प्रखण्ड परिसर हिसुआ तक एवं नगर सरकार भवन से श्री कार्तिक साव तथा राधा मार्केट होते हुए खनखनापुर पुल तक ढक्कनयुक्त नाला का निर्माण कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, नवादा का पत्रांक-367 दिनांक-31.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु हेतु समर्पित किया गया है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (रूलाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (रूलाख में)	अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (रू में)
1.	नगर पंचायत, हिसुआ अन्तर्गत अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग से किरासन गद्दी होते हुए प्रखण्ड परिसर हिसुआ तक एवं नगर सरकार भवन से श्री कार्तिक साव तथा राधा मार्केट होते हुए खनखनापुर पुल तक ढक्कनयुक्त नाला का निर्माण कार्य।	281.842 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-128 दिनांक-07.03.2018)	281.463	2,79,55,997 /-

अतः उक्त योजना के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- नगर पंचायत, हिसुआ अन्तर्गत अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग से किरासन गद्दी होते हुए प्रखण्ड परिसर हिसुआ तक एवं नगर सरकार भवन से श्री कार्तिक साव तथा राधा मार्केट होते हुए खनखनापुर पुल तक ढक्कनयुक्त नाला का निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 2,81,84,200/- (दो करोड़ एकासी लाख चौरासी हजार दो सौ) रुपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-128 दिनांक-06.03.2018
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 2,81,46,300/- (एक करोड़ एकासी लाख छियालीस हजार तीन सौ) रुपये मात्र।
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लें।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लें तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xii) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/RINL Make का होना चाहिए।
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियंता
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना